भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 अप्रैल, 2014

संख्या का०आ० 49/ह०अ० 6/2003/धा० 59/2014.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 3/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2014, दिनांक 3 मार्च, 2014 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ग में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में, अनुसूची ग में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 27क तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2
"27क	अर्थमूविंग इक्विपमैंटस अर्थात् व्हील एक्सकेवेटर, ट्रेक एक्सकेवेटर, बैकहो लोडर, लोडाल, व्हील लोडिंग शोवल, स्कीड स्टीअर और रोड रोलर।"।

हरदीप कुमार,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।